



# डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ० प्र०

सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांक: ए०के०टी०यू० / कुस०का० / 2024 / 4011

दिनांक: // सितम्बर, 2024

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य,

डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थान।

विषय: स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजनान्तर्गत ऐसे छात्र-छात्राएं जिन्हें किसी कोर्स अवधि में स्मार्टफोन / टैबलेट प्राप्त हो चुके हैं, को अग्रेत्तर अन्य कोर्स अवधि के समय पुनः डिवाइस उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या: I/735051/2024/16-3099/51/2021 दिनांक 05.09.2024 के साथ संलग्न औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के पत्र 680/77-1-2024(1720557) दिनांक 22.08.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उपर्युक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के क्रम में औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक 22.08.2024 में की गयी अपेक्षा का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

  
(डा० आर० के० सिंह)  
उप कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. कुलसचिव, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
2. उप सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र०, शासन, लखनऊ।
3. स्टाफ आफीसर, मा० कुलपति कार्यालय, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।

/  
(डा० आर० के० सिंह)  
उप कुलसचिव

ई-मेल

संख्या: I/735051/2024/16-3099/51/2021

प्रेषक,

चिरौंजी लाल,  
उप सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव, ए०के०टी०यू०, उ०प्र० लखनऊ।
2. कुलसचिव, एच०बी०टी०यू०, उ०प्र० कानपुर।
3. कुलसचिव, एम०एम०एम०यू०टी०, उ०प्र० गोरखपुर।
4. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर।
5. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, बुंदेलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झांसी।
7. निदेशक, कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर।
8. निदेशक, समस्त राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, उ०प्र०।
9. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय/अनुदानित पॉलिटेक्निक (द्वारा निदेशक)।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक:05-09-2024

विषय- स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजनान्तर्गत ऐसे छात्र-छात्राएं जिन्हें किसी कोर्स अवधि में स्मार्टफोन/टैबलेट प्राप्त हो चुके हैं, को अग्रतर अन्य कोर्स अवधि के समय पुनः डिवाइस उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या:- 680/77-1-2024(1720557) दिनांक 22.08.2024 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 22.08.2024 में की गयी अपेक्षा के क्रम में नियमानुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

Signed by

Chiraunji Lal(चिरौंजी लाल)

Date: 05-09-2024 16:21:33

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि मय संलग्नक प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: यथोक्त।

DR(R) 2383  
06/9/2024

Reg  
5/9/24

जी लाल

DR  
6/9/24

2383

आज्ञा से,

(चिरौंजी लाल)

उप सचिव।

संख्या:-680/77-1-2024(1720557)

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,  
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग,  
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

VS.(डा. डि.)

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 22-08-2024

विषय:- स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत ऐसे छात्र-छात्रायें जिन्हें किसी कोर्स अवधि में स्मार्टफोन अथवा टैबलेट प्राप्त हो चुके हैं, को अग्रेत्तर अन्य कोर्स अवधि के समय पुनः डिवाइस उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/ महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को के पत्र संख्या-डी/24-25/1825 दिनांक 20.08.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में कई जनपदों के प्रतिनिधियों एवं संस्थानों के (अलोक) अधिकारियों द्वारा स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत ऐसे छात्र-छात्रायें जिन्हें किसी कोर्स अवधि में स्मार्टफोन अथवा टैबलेट प्राप्त हो चुके हैं, को अग्रेत्तर अन्य कोर्स अवधि के समय पुनः डिवाइस उपलब्ध करायी जानी है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत निःशुल्क टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 975/77-1-2022-156 / 2021 दिनांक 18.07.2022 के बिन्दु संख्या-3-'लाभार्थियों का चयन के प्रस्तर-3 में निम्नवत प्राविधानित है:-

"सम्बन्धित विभाग द्वारा विभागाध्यक्ष के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विचाराधीन योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने वाले युवाओं को राज्य सरकार की अन्य किसी योजना (स्कूली शिक्षा को छोड़कर) के अन्तर्गत स्मार्टफोन/टैबलेट प्राप्त न हुये हों। संकलित किये जाने वाले समस्त डाटा को पोर्टल पर अपलोड किये जाने, पुष्टिकृत किये जाने एवं उसकी शुद्धता सुनिश्चित किये जाने का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित विभाग / विभागाध्यक्ष तथा सम्बन्धित संस्था प्रमुख का होगा।"

3- उक्त शासनादेश दिनांक 18.07.2022 में दिये गये उपरोक्त प्राविधान के अनुसार स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत भी किसी छात्र / छात्रा को किसी एक कोर्स अवधि में स्मार्टफोन अथवा टैबलेट प्राप्त हो जाने के उपरान्त किसी अन्य कोर्स अवधि में स्मार्टफोन अथवा टैबलेट का पुनः वितरण नहीं किया जाना है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी के माध्यम से योजना से सम्बन्धित जनपद के समस्त संस्थानों के नोडल अधिकारियों को उक्त प्राविधान से अवगत कराने का कष्ट करें।

विशेष सचिव

प्राविधिक शिक्षा विभाग

उत्तर प्रदेश शासन।

Signed by

भवदीय,

Anil Kumar Sagar

(अनिल कुमार सागर)

Date: 22-08-2024 19:50:36 प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, व्यावसायिक शिक्षा/कौशल विकास मिशन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम, पशुधन विभाग, कृषि विभाग, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, संस्कृति विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ शिक्षण संस्थानों को यथोचित माध्यम से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

2. कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी, केन्द्रीय

So-3

29/8/24

29/8/24

8/28/24 10:59 PM  
आपके लिये  
प्रमुख सचिव  
आवधिक विभाग

लिब्वती अध्ययन विश्वविद्यालय, वाराणसी, राजीव गाँधी नेशनल एवीएशन विश्वविद्यालय, फुरसतगंज, अगेठी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त सम्बन्धितों को यथोचित माध्यम से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

3. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(निर्देश कुमार शुक्ल)  
उप सचिव